जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/6033 दिनांक : 11-02-13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2013 के पद क्रमांक (44) के निर्णयानुसार **फ्लोरेन्स नाईट ऐंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर को सत्र 2011-12** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.एस-सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्ते/प्रतिबंध :-

1. आई.एन.सी. नई दिल्ली के मानदण्डों के अनुसार महाविद्यालय में प्राचार्य उप-प्राचार्य (वाईस प्रिंसिपल), एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिसटेन्ट प्रोफेसरों का अभाव है। अतः परिनियम 28(17) के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा प्रोफेसर-कम-प्रिंसिपल, प्रोफेसर-कम-वाईस प्रिंसिपल असोसिएट प्रोफेसर एवं असिससेन्ट प्रोफेसर एवं असिसटेन्ट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ एक माह में पूर्ण कर ली जावें।
2. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत, पुस्तकालयाध्य एवं क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्तियाँ महाविद्यालय द्वारा एक माह में पूर्ण कर ली जावे।
3. विश्वविद्यालय नियमानुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ भी महाविद्यालय द्वारा एक माह में पूर्ण कर ली जावें।
4. उपरोक्त नियुक्तियों संबंधित कार्य को एक माह में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करने का सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का ही है।
5. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय के पास आई.एन.सी., नई दिल्ली के मानदण्डों के अनुसार प्रयोगशालाओं एवं व्याख्यान कक्षों का अभाव है। उपरोक्त पाठ्यक्रम महाविद्यालय में विगत छः वर्षों से संचालित किया जा रहा है। अतः यह अति आवश्यक है। कि महाविद्यालय आई.एन.सी., नई दिल्ली के मानदण्डों के अनुसार प्रयोगशालाओं एवं व्याख्यान कक्षों को विकसित कर एक माह में विश्वविद्यालय को सूचित करें।
6. पुस्तकालय हेतु नवीन संस्करण की 100 शीर्षक पुस्तकें एक माह कर ली जावे। जिसकी सूचना अविलम्ब विश्वविद्यालय को दी जावे।
7. खेल कूद का मैदान दो लाख रूपये की सामग्री से विकसित किया जाय।
8. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम संबंधित 10 शोध पत्रिकायें क्रय कर निरन्तरता लाई जावे।
9. सेमिनार हॉल को नय फर्निचरों से विकसित किया जावे।
10. प्रयोगशालाओं में गैस पाइप लाइन की व्यवस्था की जावे।
11. प्रयोगशालाओं में घरेलू उपयोग वाली गैस का उपयोग किया जा रहा है। इसकी जगह व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जावे।
12. परिनियम 27,28 का पालन किया जावे।
13. महाविद्यालय को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **फ्लोरेन्स नाईट ऐंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।**
2. **सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।**
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)